SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

लक्ष्य 2 भुखमरीको समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना,बेहतर पोषण हासिल करना अैर सतत कृषि को बढ़ावा देना

2030 तक	
2.1	भूख को समाप्त करें और सभी के लिए भोजन सुनिश्चित करें विशेष कर गरीब और कमजोर तबके को, इनमें शिशु भी शामिल हैं उनके लिए पोषक भोजन पूर साल के लिए सुरक्षित करें।
2.2	कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करें, इस लक्ष्य को 2025 तक प्राप्त करें, खास कर 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए किशोरी लड़कियों के लिए पोषण युक्त भोजन जरूरी है, दुग्धपान कराने वाली महिलाओं और वृद्ध लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है।
2.3	कृषिउत्पादों की दो गुना पैदावार करें। छोटे स्तर के उत्पादकर्ताओं की आय दुगुनी करें खास कर महिलाओं, मूल निवासियों, किसानों के परिवारों, चरवाहों एवं मछुआरों इनकी पहुंच समान रूप से भूमि एवं अन्य उत्पादों तक हो साथ ही उन्हें ज्ञान, आर्थिक सेवाओं, बाजार एवं अन्य अवसरों को समान रूप से उपलब्ध कराएं एवं गैर– कृषिक्षेत्र में रोजगार प्रदान करवाएं।
2.4	सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना और ऐसी कृषिकरना जिससे उत्पादकता और उत्पादन बढ़े। इससे इकोसिस्टम (पारिस्थितिकी तंत्र) प्रबंधन में मदद मिलती है, जिससे जलवायु परिवर्तन के लिए क्षमता बढ़ती है। कठोर मौसम, सूखा, बाढ़ एवं अन्य आपदाओं तथा भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलती है।
2.5	आनुवंशिक विविधता बनाए रखना, पौधे उगाना, पशुपालन एवं संबंधित वन्य प्रजातियां इसके साथ ही विविध बीजों एवं पौधों का संग्रहण राष्ट्रीय क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करना, आनुवंशिक संसाधनों एवं पारंपरिक ज्ञान से प्राप्त लाभ का समान रूप से वितरण, इस पर अंतर्राष्ट्रीयसहमति है।
2.क	निवेश बढ़ाएं, अंतर्राष्ट्रीयसहयोग बनाए, विकासशील देशों में खास कर कम विकासशील देशों में कृषिउत्पादन की क्षमता बढ़ाएं इसके लिए ग्रामीण इन्फ्रस्ट्रक्चर, कृषिअनुसंधान एवं विस्तार सेवाएं बढ़ाएं और तकनीक का विकास करें तथा पौधों के जीन व पशुपालन को बढ़ावा दें।
2.ख	विश्व कृषिबाजार में व्यापार में व्याप्त बाधाओं एवं विकृतियों को रोकें और सुधारें, इसके समानान्तर कृषि में निर्यात में दी जाने वाली रियायतों को दोहा डेवलेपमेंट राउंड के आदेश के अनुसार खत्म करें।

2

भुखमरीको समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना,बेहतर पोषण हासिल करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना

राष्ट्रीय योजनाएं एवं गनीतियां

नोडल मंत्रालय. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (CSS)	संबंधित हस्तक्षेप	लक्ष्य	अन्य संबंधित मंत्रलय एवं विभाग
1. राष्ट्रीयखाद्य सुरक्षा मिशन (Core) 2. बागवानी विकास समग्र मिशन 3. राष्ट्रीयसतत कृषिमिशन 4. राष्ट्रीयतिलहन एवं ताड़ तेल मिशन 5. राष्ट्रीयतकनीक एवं कृषिविस्तार मिशन 6. राष्ट्रीयकृषिविकास योजन (RKVY) (ACA) (Core) 7. मवेशी मिशन (Core) 8. मवेशी स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रंण (Core) 9. राष्ट्रीयगोजातीय प्रजनन एवं डेयरी विकास	1. लक्षित सार्वजनिक प्रणाली(TPDS) 2. राष्ट्रीयपोषण मिशन (NNM) (Core) 3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 में पारित 4. मध्याह्न भोजन	लक्ष्य 2.1	उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनि वितरण, जनजातीय मामले
		लक्ष्य 2.2	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष, महिला एवं बाल विकास
		लक्ष्य 2.3	कृषि एवं सहकारिता, रसायन एवं उर्वरक, जनजातीय मामले
		लक्ष्य 2.4	कृषिएवं सहकारिता
		लक्ष्य 2.5	कृषिएवं सहकारिता, जनजातीय मामले
		लक्ष्य 2.क	वाणिज्य एवं बाहरी मामले
		लक्ष्य 2.ख	वाणिज्य
		लक्ष्य 2.ग	कृषि एवं सहकारिता

Source: - http://niti.gov.in/writereaddata/files/SDGsV20-Mappingo80616-DG_o.pdf

खामियां और चुनौतियां

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य 2015 ने भोजन सेवन कीजो रिपोर्ट पेश की है वह बहुत ही निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वे हैं वर्ष 1993 में 2153 के–कैलोरी एवं 2009–10 में यह 2020 के–कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है जो कि 2400 सामान्य से 16 प्रतिशत कम है। इसी तरह शहरों में 2071 से घटकर 1946 के–कैलोरी हो गया है जो कि सामान्य 2100 से 7.3 प्रतिशत कम है।राज्यवार 2009–10 के कैलोरी सेवन के आंकड़े सिर्फ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, आन्ध्र प्रदश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीयऔसत से अधिक हैं। भोजन कैलोरी सेवन में शहरी क्षेत्रों में जैसे हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में वर्ष 2009–10 में राष्ट्रीयऔसत से कम था।

राष्ट्रीयपरिवार स्वास्थ्य सर्वे 3 वर्ष 2005 में किया गया था।

वर्ष 2005–06 में मध्य प्रदेश में कम वजनी बच्चों का राष्ट्रीयऔसत 40 प्रतिशत था जिसमे मध्य प्रदेश में 57.9 प्रतिशत था और मिजोरम में 14.2 था। वर्ष 1992 में कम वजनी बच्चों का अनुपात एनएचएफएस वन में 53 प्रतिशत था अतः पोषण में 13 प्रतिशत की कमी 2005 तक थी कुछ राज्यों में इसकी गंभीर स्थिति थी।

पांच साल से कम उम्र के बच्चों में कम वजन के अनुसूचित जनजाति के 56 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के 51 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के 45 प्रतिशत बच्चे थे जबकि गैर–अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चे 36 प्रतिशत थे। इसके अलावा, एनएफएचएस के तीन राउंड में वर्ष 1992 से 2006 तक बाल कुपोषण कम होने का स्तर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मे अन्य सामान्य वर्ग की तुलना में धीमा हैं। अन्य वर्ग में कुपोषण कम होने की दर 2.3 प्रतिशत है जबकि अनुसूचित जाति की –0.9 और अनुसूचित जनजाति की –0.8 प्रतिशत हैं।

कम पोषण का मामला विशेष कर महिलाओं में अधिक है जैसे कि अनुसूचित जाति की महिलाओं में यह प्रतिशत 49 है तो अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में 45 प्रतिशत है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग में यह 40 प्रतिशत है और उनका बीएमआई 18.5 किलो/मीटर स्क्वायर से कम है जबकि अन्य वर्ग में यह औसत 36 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति की 69 प्रतिशत महिलाओं को एवं अनुसूचित जनजाति की 58 प्रतिशत महिलाओं को एनीमिया (खून की कमी) है जबकि अन्य जैसे गैर–अजजा, अजा एवं ओबीसी की 51प्रतिशत महिलओं को एनीमिया है। इसी प्रकार पुरूषों का भी है अनुसूचित जनजाति के 43.3प्रतिशतपुरूषोंको अनुसूचित जाति 42.3प्रतिशतपुरूषों को तथा अन्य पिछड़ा जाति के 38 प्रतिशतपुरूषों को एनीमिया है जबकि अन्य सामान्य वर्गों के पुरूषों में 33 प्रतिशतपुरूषोंको एनीमिया है।

2

भुखमरीको समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना,बेहतर पोषण हासिल करना और सतत कृषि को बढ़ावा देना

सुझाओ

1. कृषि में जन निवेश को बढ़ाने की जरूरत है और उत्पादकता, विविधता तथा कृषिको सुधारने की जरूरत है खासकर छोटे किसानों परविशेष जोर देने की जरूरत है। इसके साथ ही सूखी भूमि में कृषिअनुसंधान के लिए पर्याप्त फंड की जरूरत है क्योंकि कृषिभूमि की 70 प्रतिशत भूमि ऐसी है।

2. भूमिहीन गरीबों के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए और गैर खाद्य वाली कृषिभूमि के उपयोग औद्योगिक या शहरी विकास के लिए लिए करने से उसका सामाजिक तथा पर्यावरणीय दृष्टि से मूल्यांकन करने के बाद ही किया जाना चाहिए।

3. अनुसूची क्षेत्रों में पंचायत विकास प्रावधानों को सख्ती से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए और स्थानीय समुदाय का पंचायत के उपयोग के लिए निर्णय के अधिकार को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

4. सतह और भूमि पर पानी का संकट, को दो तरह से व्यक्त कर दिया जाए, अधिक जल अवशोषित करने वाली फसलों को बदलना चाहिए औरकृषिकी नई तकनीकों का उपयोग करना चाहिए जल संचयन तथा मिट्टी की नमी को बढ़ाया जाए। मनरेगा का फंड बढ़ाया जाए और रचनात्मक उपयोग कर इसे संभव बनाया जाए।

5. कृषिउत्पादकों की निर्माण प्रक्रिया, खपत और मार्केटिंग भी जबरदस्त बदलाव की जरूरतर है, सतत कृषिउत्पादकों के लिए रियायती दर पर कोल्ट स्टोरेज और कोल्ड चेन सेवाओं, सड़क और रेल से जुड़ाव की जरूरत है। छोटे किसानों को खरीद और बिक्री पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए।

6. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन के दोहा राउंड में भारत का जोर अभी तक कृषिउत्पादन के खपत एवं रियायत प्रबंध पर रहा है किन्तु अब इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है सतत कृषिउत्पादो के लिए उनकी प्रोन्नति एवं रियायत के साथ बाजार बढ़ाने की भी आवश्यकता है।

7. खाद्य संप्रभुता को सुनिश्चित करने की नीति होनी चाहिए जिसमें छोटे किसानों और देशके बीजों एवं कृषिसुधारों पर नियंत्रण होना चाहिए।

8. खाद्य सुरक्षा संबंधी अधिनियमों एवं प्रावधानों का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जोरों से पालन होना चाहिए। समुचित प्लानिंग और मोनीटरिंग के माध्यम से लिंग और सामाजिक समावेशसुनिश्चित किया जाना चाहिए।